


23/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित।
विपक्षीण के सम्मन लामिबगुहा प्राप्त
जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।
पत्रावली वस्तु विपक्षीण के जवाब हेतु
आइन्हा दिनांक 24/3/24 को पेश हो।




24/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित।
पत्रावली वस्तु विपक्षीण के जवाब
हेतु आइन्हा दिनांक 20/06/2024 को
पेश हो।



20/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित।
पत्रावली वस्तु विपक्षीण को जवाब हेतु
अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आइन्हा
दिनांक 23/7/24 को पेश हो।



23/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित। विपक्षीण
को जवाब के अनेक अवसर देने के बावजूद भी
कोई जवाब नहीं दिया गया अतः उनका जवाब बंद
किया जाता है। वकील पक्षी ने लक्ष्य सुनने का
निवेदन किया। वकील पक्षी की बयान सुनी गई।
बयान पर मतलब किया गया। पत्रावली का अन्वयान
अवलोकन किया गया जिससे पता चला है कि
पक्षी का पक्षी पर स्वीकार होता है।
अतः पक्षी का पक्षी पर जवाब में स्वीकार
किया जाता है। नैसर्गिकी निर्णय अन्वय से लिया
जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली
केवल गुणर होकर स्पष्ट होकर है। अन्वय से
एक काम हो।



Presented by A.S. Sh
D... L to Roster

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 46/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

श्यामसिंह बनाम सखीमौहमद वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह II, RAS

प्रार्थी वकील - श्री शाकर खान


निर्णय

दिनांक - 23/07/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा सेड़वा के खेत खसरा संख्या 1547/439 रकबा 0.1618 हैक्टर व खसरा संख्या 1549/440 रकबा 2.9138 हैक्टर कुल रकबा 3.0756 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेड़ो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा सेड़वा के खेत खसरा संख्या 1547/439 रकबा 0.1618 हैक्टर व खसरा संख्या 1549/440 रकबा 2.9138 हैक्टर कुल रकबा 3.0756 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/07/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1. श्यामसिंह पुत्र देरावरसिंह जाति राजपुत, निवासी रामसर, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर	बनाम	विप्रार्थीगण 1. सखीमौहमद पुत्र गुलु 2. बरकतअली पुत्र गुलु जाति मुसलमान, निवासी सेड़वा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
--	------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 46/2024

दिनांक : 23/07/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा सेड़वा के खेत खसरा संख्या 1547/439 रकबा 0.1618 हैक्टर व खसरा संख्या 1549/440 रकबा 2.9138 हैक्टर कुल रकबा 3.0756 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

olc (विरेन्द्रसिंह भाटी, RAS)
उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा

दिनांक 24/07/2024

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2331-34

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी श्यामसिंह पुत्र देरावरसिंह।
3. विप्रार्थी सखीमौहमद पुत्र गुलु वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

olc उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा